न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार,आर.ए.एस..

राजस्व प्रा.पत्र संख्या 72/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सवाराम पुत्र खीमारामजी जाति राजगर ब्राहाण आयु 85 वर्ष पेशा आराम निवासी हालीवाडा तहसील सिरोही जिला सिरोही		1– अकाराम पुत्र खीमारामजी 2– भारता पुत्र प्रेमाजी 3– शिवराम पुत्र प्रेमाजी सभी जाति राजगर ब्राहाण आयु व्यस्क निवासी हालीवाडा तहसील सिरोही जिला सिरोही 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2– अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान वकील श्री राजेन्द्रपुरी
3– अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान वकील श्री मोहनसिंह
3– अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट तह.सिरोही की ओर से स्वंय तहसीलदार सिरोही

राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज..काश्त.अधि.1955 के तहत
वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 19 –8–2019

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1से 3 तक का वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 9–7–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रा. पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम हालीवाडा पटवार हल्का मडीया तहसील व जिला सिरोही मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि कुंआ नामे सुदरला वाला व ढीबडा आया हुआ है जिसकी विगत निम्न प्रकार है :–

क्रं.सं.	खाता संख्या नया	खाता संख्या पुराना	खसरा नंबर	क्षैत्रफल	किस्म
1	236	231	980	0.5000 हेक्टेयर	गै.मु.नाडी
2			982	0.0700 हैक्टेयर	गै.मु

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continued Page No 2

3	983	0.0500 हैक्टेयर	गै.मु. नाडी
4	984	1.9100 हैक्टेयर	बारानी 1
5	985	0.7000 हैक्टेयर	बारानी 1
6	987	0.0300 हैक्टेयर	गै.मु.चाह च
7	988	5.4600 हैक्टेयर	चाही 3

कुल किता 7 कुल क्षैत्रफल 8.7200 हैक्टेयर

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मय कुंआ कुल खसरा संख्या 7 कुल क्षेत्रफल 8.7200 हेक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 2/3 खातेदारी हक हिस्सा है अर्थात उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी 1/3 हिस्से का रेकर्डेड खातेदार कृषक है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 का उपरोक्त वर्णित कआराजी मे 1/3 खातेदारी हक हिस्सा है तथा इसी हक हिस्से अनुसार उक्त वर्णित कृषि अआराजी मय कुंआ पर पक्षकारान का खातेदारी हक व प्रार्थी की ओर से उनके पुत्रों का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसका उल्लेख सराजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे किया हुआ है जिसकी नकल प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। वर्णित कृषि आराजी मय कुंआ का मौके पर संलग्न नक्शा कलर वर्णित अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक के बतौर लोर व टुकडों के विभाजित हिस्से पूर्व मौखिक विभाजन अनुसार कब्जा काश्त है जिसमे विभाजित हिससे पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक ने शामलाती खर्चे से एक शामलाती नया कुंआ 10–12 वर्षो पूर्व खसरा नंबर 982 मे दर्ज है उसको खुदवाया है जो कुंआनामे सुदरला वाला है। उस पर शामलाती खर्चे व प्रार्थी की सहमति से अप्रार्थी संख्या एक के नाम से बिजली कनेक्शन ले रखा है जो वर्तमान मे चालु है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 संयुक्त रूप से संलग्न नक्शा कलर वर्णित अनुसार जो पमूर्व मोखिक हिस्से के कब्जा काश्त है जिसमे खसरा नंबर 987 कुंआ नामे ढिबडा आया हुआ है जो बाप दादाओं के हाथ का पुराना कुंआ है। उस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक का 2/3 का हक अधिकार है। उस पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 का संयुक्त रूप से बिजली कनेक्शन है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक के हिस्से पर इजन पम्पसेट लगा हुआ है जिसके जरिये अलग अलग स्त्रोतो से पक्षकारान अपने हक हिस्से कुंआ पर ढिची से पानी निकालकर सिंचाई एवं काश्त सहमति से करते आ रहे है। वर्णित आराजी मौके पर संलग्न नक्शा कलर वर्णितानुसार पक्षकारान के हक हिस्से व कब्जा काश्त अनुसार पूर्व मे हुये मौखिक विभाजन अनुसार टुकडों मे खातेदारान के मध्य बंटी हुई है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे उक्त आराजी पक्षकारान के शामलाती खाते मे दर्ज है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 वर्णित आराजी मय कुंआ पर मौखिक बंटवाड अनुसार वर्षो से अपने अपने हक हिस्से के टुकडों की कृषि भूमि मय कुंआ हक ढिंची के काबिज होकर सहमति से काश्त करते आ रहे है तथा लगान सभी अपने अपने हक हिस्से अनुसार एकत्रित कर संयुक्त रूप से अदा करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 वादग्रस्त कृषि भूमि के सहखातेदार कृषक है। जिससे प्रार्थी को उनके खातेदारी

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 3

हक हिस्से मय कुंआ ढिची के कृषि भूमि का विभाजन करवाने का विधिक हक अधिकार है। प्रार्थी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की आराजी मे गत 2 वर्षो से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त मे दखलंदाजी करते आ रहे है एवं अप्रार्थी संख्या एक गलत रूप से प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी पर हक जताते हुये बाड एवं लोर तथा खडी फसल को नुकसान पहुँचाते है व मवेशी चराकर फसल को नष्ट करते है एवं कुऐ से बिजली कनेक्शन कुंआ सुदरला पर लगाया है उस पर अकेले हक जता रहे है उपरोक्त तमाम स्थिति के कारण प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या एक के साथ व अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के साथ शामलाती रेकर्ड खाते शामिल शरीक खेती करना किसी भी स्थिति मे सम्भव नही है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टयॉ केस है । प्रार्थी व अअप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 सहखातेदार तथा सहकृषक है जिससे वादग्रस्त आराजी पर सभी का खातेदारी हक अधिकार है। प्रार्थी अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के साथ वादग्रस्त आराजी को संयुक्त रखना नही चाहते है जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी हक हिस्से की कृषि भूमि मय कुंआ ढींची को विभाजन के जरिये पृथक करवाकर विभाजित हिस्से का पृथक कब्जा प्राप्त करना चाहता है एवं पृथक खाता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाना चाहता है व रास्ता चाहता है तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या एक द्वारा वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि पर खडाई कर अकेले काश्त करने व कुंआ सुदरला पर बिजली कनेक्शन मे रूकावट करने पानी ढींची से लेने व लोर व खेत के टुकडों मे दखलंदाजी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को करने का कोई अधिकार नही है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को आपसी समझाईश के जरिये विधि अनुसार वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त संलग्न नक्शा कलर वर्णित अनुसार आपसी सहमति से विभाजन कर प्रस्ताव रखा लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बावजद तकाजों एवं निवेदन के तैयार नही होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी के कब्जा काश्त मे व कुंआ से पानी लेने मे दखलंदाजी व झगडा करने बिजली कनेक्शन का उपयोग नही करने देने तथा कृषि भूमि व बाड व लोर को खुर्द बुर्द करने की धमी देने व आने जाने मे बाधा उत्पन्न करने झूठे मुकदमे मे फंसाने की की धमकी देने खडी फसल को नष्ट करने उक्त तमाम स्थिति मे अगर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विभाजन तक नही रोका गया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा जिससे उनको अतुलनीय व अपूरक क्षति होगी जिसका मुल्यांकन नही किया जा सकेगा । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष मे व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्व ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के इस आश्त की जारी करावें कि वादग्रस्त आराजी पर रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 स्वंय या उनके एजेण्ट नौकर वादग्रस्त संयुक्त कब्जे की कृषि भूमि मय कुंआ सुदरला व ढीबडा मे किसी भी प्रकार की दखलंदाजी या कृषि आराजी खुर्द बुर्द नही करें एवं न ही करावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 के प्रारूप मे वर्णित दस्तावेजात मे जमाबंदी संवत 2071 से 2074 नक्शा ट्रेस सम्पूर्ण व

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue Page No 4

नक्शा ट्रेस खातेदारी नक्शा ट्रेस कलर मौके की स्थिति मोखिक बंटवाड मय कब्जा काश्त,फोटो गिरदावरी नक्शा 2071 से 2074,सवाराम के नाम की बिजली कनेक्शन की फाईल की फोटो प्रतियॉ का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 9–7–2018 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 24–8–2018 को वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से समय दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 3 को कजिारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद हाजिर नही है दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 3 को न्यायालय मे हाजिर होने हेतु न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या इनके वकील कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये । इस न्यायालय मे प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 23–10–2018 को वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया । सुनवाई के दौरान ववकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र आदेश 01 का नि.01 सी.पी.सी. का बाबत अप्रार्थी संख्या एक का जवाब बंद करने का प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थनापत्र की प्रति वकील अप्रार्थीगण को उपलब्ध कराई । सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 शिवराम की ओर से वकील मोहनसिंह ने मूलवाद मे वकालतनामा पेष किया इस कारण पत्रावली अप्रार्थी संख्या 2,3 के जवाब वव प्रार्थनापत्र आदेश 8 नियम 01 के जवाब/बहस हेतु दिनांक 19–12–2018 को पेश हुई । न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई दिनांक 19–12–2018 को वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया वकील प्रार्थी ने जवाब की प्रति आपत्ति के साथ प्राप्त की है। पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रार्थनापत्र बाबत जवाब बंद करने पर जवाब/बहस हेतु दिनांक 5–2–19 को पेश हुई जिस पर वकील प्रार्थी ने हाजिर होकर उक्त प्रार्थनापत्र बाबत जवाब बंद करने को नोटप्रेस किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जवाब को रेकर्ड पर लिया गया तथा पत्रावली अप्रार्थी संख्या 1 वव 4 के जवाब हेतु दिनांक 19–2–2019 को पेश हुई । विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या4 स्टेट पैरोकार सरकार को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे पर्याप्त अवसर देते हुये पत्रावली न्यायालय मे दिनांक 18–3–2019 को पेश हुई ।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 18–3–2019 को प्रकरण की पत्राचवली देखने पर पाया कि अप्रार्थीसंख्या 2 व 3 का जवाब दिनांक 23–10–2018 को तथा अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब दिनांक 19–12–2018 को ही पेश हो गया है जो पत्रावली के संलग्न है। अप्रार्थी संख्या एक का जवाब पेश होना सहवन से लिखा गया है तथा विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से स्वंय तहसीलदार,सिरोही ने दौराने सुनवाई न्यायालय मे हाजिर होकर अवगत कराया कि विचारण प्रकरण मे स्टेट तहसीलदार सिरोही फोरमल पक्षकार होने तथा राजहित प्रभावित नहीहोने से अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट का जवाब पेशरने का कोई आवश्यकता नही होने से जवाब बंद करावें जिस

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue Page No 5

पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट तहसीलदार,सिरोही का जवाब बंद किया गया । दौराने सुनवाई वकील प्रार्थी ने फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियॉ मे गिरदावरी संवत 2071 से 2074 जमाबंदी संवत 2063,कुआनामे सुदरला वाला खसरा नंबर 982 मे मौके होदी व बिजली कनेक्शन सवाराम की मौका फोटो व सुदरला कुंआ खुदा का हिसाब की प्रतियॉ पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब मे प्रार्थनापत्र मे पैरा संख्या 1 से 9 तक के कथनो को अस्वीकार कर यह कथन किया कि प्रार्थी का उक्त कृषि आराजी मे 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा बतौर खातेदारी दर्ज है एवं उक्त कृषि आराजी का विभाजन करीब 25–30 वर्ष पूर्व हो चुका है व मौके पर लोर कायम है और अपने अपने हिस्से की कृषि आराजी पर खेती करते आ रहे है। इस प्रकार उक्त कृषि आराजी का विभाजन मौके पर हो चुका है इस कारण विभाजन की कतई आवश्यकता नही है बल्कि राजस्व रेकर्ड मे पूर्व मे हुये विभाजन अनुसार काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे दर्ज किये जाने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 की सहमति से विधुत कनेक्शन लेनने का झूठा कथन किया है जिसे अप्रार्थी संख्या एक को कदापि स्वीकार नही है एवं खसरा नंबर 987 मे जो कुआ है तथा उक्त कुऐं पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1/3, 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। जिसका कनेक्शन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से लिया हुआ है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक का संयुक्त रूप से डीजल इंजन सका पम्प सेट लगा हुआ है जिस पर तीन तीन दिन के अन्तराल से ढींची बंधी हुई है। उस अनुसार पानी लेकर फसल सिंचित करते है। प्रार्थी ने गलत कथन करके गलत यह प्रार्थनापत्र पेश किया है प्रार्थी एक तरफ स्वंय यह कथन करके आया है कि उक्त कृषि आराजी का विभाजन पूर्व मे हो चुका है वही दूसरी तरफ मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करवाने का कथन कर रहा है। उक्त दोनो कथनों मे भारी विरोधाभाष है इस कारण प्रार्थी को प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई आधार ही पैदा नही होता है बल्कि यह प्रार्थनात्र काबिल खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने संलग्न नजरी नक्शे मे अंकित अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौके पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है। खसरा नंबर 987 मे कुंआ है जिसमे तीन तीन की ढिंची बांधी जाती है और उस अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई आधार ही पैदा नही होता है एवं अप्रार्थी संख्या 01 ने आपसी सहमति से बंटवाड करने से मना नही किया है बल्कि प्रार्थी गलत बंटवाडा करवाना चाहता है। जिस हेतु अप्रार्थी तैयार नही है एवं न ही सम्भव है। प्रार्थी के पक्ष मे कोइ सुविधा का संतुलन ननही है न ही प्रार्थी को अतुलनीय व अपूरक क्षति कारित होगी चूंकि उक्त कृषि आराजी का पूर्व मे विभाजन हो चुका है। प्रार्थी ने झूठे कथन करके अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के आश्य से यह गलत प्रार्थनापत्र पेश किया है एवं न ही खातेदार काश्तकार व अन्य सहखातेदारी के विरूद्व प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

Continue Page No 6

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

वकील अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब के विशेष कथन के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आज से 25–30 वर्ष पूर्व उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी का मोखिक विभाजन हो चुका है एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हिस्से मे आई आराजी नजरी नक्शे मे अंकित है उस अनुसार मौके पर
काबिज है और मौके पर लोअर कर कायम है जिसे प्रार्थी ने स्वीकार किया है एवं मौके पर काबिज अनुसार बंटवाड किया जाता है तो अप्राथ्री संख्या 01 को कोई एतराज नही है।तथा खसरा नंबर 987 मे जो कुंआ है जो अप्रार्थी संख्या एक के हिस्से मे आया है उक्त कुऐं को अप्रार्थी ने आज से 15 –20 वर्ष पूर्व अपनी स्वंय की आय से कुंआ खुदवाया है एवं अप्रार्थी संख्या एक ने अपने नाम से विधुत कनेक्शन लिया हुआ है जिसकी जानकारी स्वंय प्रार्थी को है और प्रार्थी की नियत मे अब खोट आ जाने से उक्त कुऐं मे अपना हिस्सा जता रहा है जो सम्भव नही है बल्कि अप्रार्थी ने अपनी रकम खर्च करके उक्त कुंआ खुदवाया है इस कारण प्रार्थी उक्त कुऐं मे कोई हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है बल्कि खसरा नंबर 987 मे पुराना कुंआ है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के संयुक्त हिस्से मे है जिस पर डिजल इंजन लगा हुआ है जिससे फसल सिंचित करते है जो संयुक्त कुंआ है। तथा प्रार्थनापत्र के जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे रंगीन कलर से मार्क "ए" जो आकाशी कलर मे अंकित किया है उक्त खसरा नंबर की आराजी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक हिस्से मे आई एवं केसरिया कलर मे जो अआराजी अंकित की है जो मार्क "बी" है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से मे आई एवं ग्रीन कललर मे अंकित किया है जो मार्क "सी" है उक्त आराजी प्रार्थी के हक हिस्से मे आई उस अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिसका बंटवाडा आज से 25–30 वर्ष पूर्व हो चुका है एवं उसी अनुसार मौके पर काबिज है। मात्र राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज होना शेष है मौके पर नजरी नक्शे मे अंकित अनुसार अपने हिस्से मे काश्त करते आ रहे है इस कारण कानूनन प्रार्थी का प्रार्थनापत्र कानूनन मेनटेनिबल नही होने से सव्यय खारीज करना फरमावें ।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जवाब मे कथन किया जिसका संक्षेप मे तथ्या इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब के माध्यम से यह निवेदन किया कि वादपत्र के साथ संलग्न कलर नक्शा मे वर्णित नकशा दर्शाया है जो पूर्व मौखिक बंटवाड अनुसार एवं मौके पर कब्जा काश्त व कृषि भूमि आंकलन अनुसार है जो सही है एवं स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 विभाजन की सहमति उक्त वादग्रस्त आराजी मयय कुंआ ढिंची मे नही देने का कथन गलत है तथा मुख्य विवाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक के बीच है तथा अप्रार्थी संख्या 01 सुदरला कुंआ वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी के साथ शामिल सरीक खेती करने,बिजली कनेक्शन का उपयोग करने पानी लेने,उपजाउ कृषि भूमि का खेती करने को लेकर झगडा है एवं वधिवत रेकर्ड मे मिटस एण्ड बाउण्डस के जरिये विभाजन हेतु सहमत नही है जिससे हम अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कुंआ नामे ढिबडा मय कृषि आराजी 1/3 हिस्से के प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नही है। सुदरवाला कुंआ मय कृषि कआराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का संबंध एक मात्र प्रार्थी

Continue Page No 7

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

एवं अप्रार्थी संख्या एक के बीच है एवं उक्त वादग्रस्त आराजी मे मुख्य झगडा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के बीच है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को आपसी समझाईश के जरिये वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त संलग्न कलर वर्णित नक्शा अनुसार विभाजन का प्रस्ताव रखना स्वीकार है। तथा प्रार्थनापत्र पद बाबत अनुतोष अप्राथी संख्या 2 ता 3 आंशिक स्वीकार करते है तथा निवेदन है कि ताफैसला अस्थायी निषेधाज्ञा का संबंध एकमात्र अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्व बतौर सुदरला वाला कुंआ मय वर्णित कब्जा काश्त आराजी से है जिसमे रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है तो अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 का कोई लेना देना नही है। ढिबडा कुंआ मय वर्णित आराजी मे किसी भी प्रकार से हम पक्षकारान का विवाद नही है एव हम बतौर हिस्सा संलग्न कलर वर्णित नक्शा कब्जा काश्त विभाजन हेतु सहमत है।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 5–8–2019 को विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 तथा वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार की अंतिम बहस रखी गई थी उसके पश्चात पुनः मजीद बहस वकील उभय पक्षकारान की इस न्यायालय मे दिनांक 27–8–2019 को सुनकर उस पर मनन किया ।

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली के संलग्न प्रार्थनापत्र ,जवाब अप्रार्थी संख्या 1 तथा जवाब अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा जवाब अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट तहसीलदार,सिरोही व संलग्न सभी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । वकील उभय पक्षकारान की अंतिम बहस पर भी गंभीरता से मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व विश्लेषण के उपरान्त यह पाया कि वादग्रस्त कृषि आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। तथा उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी का पत्रावली के संलग्न भाई बंटवारा लिखत दिनांक 5–6–1999 के दस्तावेज अनुसार लगभग 20 साल पूर्व पक्षकारान ने आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन मौखिक बंटवाडा होना तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करना जाहिर होता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे की स्थिति को लेकर प्रार्थी व अप्राथी संख्या 01 के मध्य विरोधाभाष है। विवादित सुदरला कुंए पर दोनो पक्षों के पृथक पृथक कनेक्शन है। अतः कुऐ से पानी निकालने का मामला न होकर कब्जे काश्त की स्थिति को लेकर विवाद होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति मे उभय पक्षकारान चूंकि रेकर्डेड खातेदारान है सहखातेदारान है एवं मौके पर कहीं न कहीं उक्त खसरान भूमि मे काबिज है बंटवाड के मूल के निर्णय होने पर ही कब्जे की लोकेशन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट रूप से आ सकती है। यदि वर्तमान मे किसी एक पक्षकार को स्थगन दिया जाता है तो न्यायालय का यह मानना है कि इससे दोनो पक्षों को विवाद मे बढोतरी हो सकती है चूंकि प्रश्न कब्जे की लोकेशन का लेकर है जो

Continue Page No 8

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

रिकार्ड पर दोनो पक्षों द्वारा पृथक पृथक बताई गई है ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टयॉ मामला,सुविधा का संतुलन, व अपूरणीय क्षति का स्पष्ट विवेचन नही होने से उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 तक का वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार(खारिज) किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 29–8–2019 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)